

**बैंक ऑफ़ इंडिया**  
**Bank of India**

**BOI**



## पोस्टल बैलट का नोटिस

दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019 से 16 जनवरी, 2020 तक

### NOTICE OF POSTAL BALLOT

Date: 18 December, 2019 to 16 January, 2020

**प्रधान कार्यालय:**

स्टार हाउस, सी-5 'जी' ब्लॉक,  
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),  
मुंबई - 400 051



**HEAD OFFICE:**

STAR HOUSE, C-5, 'G' BLOCK  
BANDRA KURLA COMPLEX,  
BANDRA (EAST)  
MUMBAI - 400 051

## पोस्टल बैलट का नोटिस

### प्रिय शेयरधारकों,

समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनियों का (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा नियम 22 (इसमें इस समय लागू किसी भी विधिक संशोधन या इसका पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अर्थात् “ई-वोटिंग” सहित पोस्टल बैलट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया (इसके बाद इसे “बैंक” कहा जायेगा) के शेयरधारकों की रजामंदी प्राप्त करने हेतु **एतद्-द्वारा नोटिस दिया जाता है।**

महत्वपूर्ण तथ्य तथा कारणों को उल्लेख करता प्रस्तावित विशेष संकल्प तथा व्याख्यात्मक विवरण पोस्टल बैलट फार्म (फॉर्म) इसके साथ आपके विचारार्थ संलग्न है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेसर्स इजी लॉज, एडवोकेट एवं कॉरपोरेट लीगल एडवाइजर के श्री अंकुर कुमार (पंजीकरण संख्या एमएएच/5718/2011) को स्कूटनाइजर नियुक्त किया है।

कृपया पोस्टल बैलट के नोटिस तथा फार्म में छपे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें तथा संलग्न सेल्फ-एड्रेस्ड पोस्टेज प्री-प्रेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे में सभी संबंधों में विधिवत् पूर्ण फार्म को इस प्रकार से भेजें कि यह निम्नलिखित पते पर **16.01.2020**, दिन **गुरुवार** तक कार्यालयीन समय पूरा होने अर्थात् शाम 5.00 बजे तक अवश्य पहुँच जाय :

### स्कूटनाइजर

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,

यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,

प्रथम तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग,

वसंत ओयसिस के सामने, मकवाना रोड,

मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, महाराष्ट्र, भारत।

विशेष संकल्प पर वोटिंग के लिए भी बैंक ई-वोटिंग की सुविधा दे रहा है। जो शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा का विकल्प चुनने के इच्छुक हैं, उनसे निवेदन है कि वे ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए पोस्टल बैलट नोटिस के नोट्स तथा उसके अंतर्गत दिये गये निर्देशों का अध्ययन करें।

पोस्टल बैलट की जाँच का कार्य पूरा होने के बाद उक्त स्कूटनाइजर अपनी रिपोर्ट, बैंक के अध्यक्ष या कार्यपालक निदेशक या बैंक के किसी अन्य निदेशक/अधिकारी, जैसा कि बैंक के निदेशक मण्डल के द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा, प्रस्तुत करेगा। पोस्टल बैलट के माध्यम से वोटिंग का परिणाम बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में दिनांक 20.01.2020 दिन सोमवार को सायं 5 बजे या इसके पूर्व घोषित किया जायेगा और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जायेगा। इसे बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in), बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (“आरटीए”) बिगशेयर सर्विसेज प्रा.लि. की वेबसाइट [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com) तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर प्रदर्शित किया जायेगा।

### संकल्प:

#### मद सं. 1: नई इक्विटी शेयर पूंजी जारी किए जाने को अनुमोदित करना

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो उसे पारित करना।

“संकल्प पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बँठकें) विनियमन, 2007 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कुछ हों तो और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”), प्रासंगिक स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (पूँजी जारी करना तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 (“आईसीडीआर विनियमन”) यथा संशोधित (आईसीडीआर) सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (जिसे इसके बाद अलग-अलग या संयुक्त रूप से “सेबी विनियम” कहा जायेगा), विदेशी विनियम प्रबंधन (गैर ऋण लिखित) विनियमन, 2019: आरबीआई, सेबी द्वारा लागू नियमों, विनियमों, निर्धारित दिशानिर्देश, परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, यदि कुछ हों तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के 125,00,00,000 (125 करोड़) तक नये इक्विटी शेयर सृजित, पेश, जारी और आबंटित, ऐसे प्रीमियम पर करना कि वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 6000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी या इसमें किसी राशि की बढ़ोतरी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी

## NOTICE OF POSTAL BALLOT

Dear Shareholder(s),

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Bank of India (hereinafter referred to as “the Bank”) to pass the Special Resolutions by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. “E-Voting”).

The proposed Special Resolutions and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto along with Postal Ballot Form (“Form”) for your consideration.

The Bank has appointed Shri Ankur Kumar ( Regn. No. MAH/5718/2011) of M/s. Ezy Laws, Advocates and Corporate Legal Advisors, Mumbai as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot and Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 p.m., on **Thursday 16.01.2020** at the following address:

### The Scrutinizer

Bigshare Services Private Limited,  
Unit: Bank of India,  
1<sup>st</sup> Floor, Bharat Tin Works Building,  
Opp. Vasant Oasis, Makwana Road,  
Marol, Andheri (East), Mumbai – 400059. Maharashtra, India.

The Bank is also providing E-Voting facility for voting on the Special Resolutions. The Shareholders desiring to opt for E-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given thereunder for E-Voting purpose.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Bank / Executive Director or any other Director/Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the Voting by Postal Ballot will be announced on or before 5:00 p.m. on Monday 20.01.2020 at Head Office, Mumbai of the Bank by displaying on the Notice Board and will be intimated to the Stock Exchanges. It will also be hosted on the website of the Bank at [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in), Bigshare Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent (“RTA”) of the Bank at [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com) and website of Central Depository Services (India) Limited e-Voting at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

### RESOLUTIONS:

#### Item No. 1: Approval to issue Fresh Equity Share Capital

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), the relevant stock exchanges and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (“ICDR Regulations”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter separately and collectively called as “SEBI Regulations”), the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications, if any, prescribed by the RBI, SEBI, Notifications / Circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) / placement document /prospectus or such other document (s), in India or abroad up

कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, या अन्य कोई राशि जो भारत सरकार तथा / या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित, परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाज़ार भाव के प्रति प्रीमियम पर।” एक या एक से अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“एनआरआई”), प्राइवेट या पब्लिक कंपनियों, निवेशकर्ता संस्थाएं, सोसाइटियां ट्रस्ट, रिसर्च संस्थाएं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकर्ता (“एफपीआई”) जैसी अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता (“क्यूआईबी”), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, जोखिम पूंजी, विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकर्ता, राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन, बीमा कंपनियों, प्रॉविडेंट फंड, पेंशन फंड, वित्तीय विकास संस्थाएं या अन्य इकाइयां, प्राधिकारी या निवेशकर्ताओं की कोई अन्य श्रेणी जो मौजूदा विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु प्राधिकृत हों या संयुक्त रूप से उपर्युक्त में से किसी को भी, जिसे भी बोर्ड उचित समझे।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, फॉलोन ऑन पब्लिक ऑफर, निजी स्थानन निर्गम के या किसी अन्य तरीके से जो उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त हो, के जरिए किया जाएगा। आति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाए और सेबी, आर. बी. आई तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसे भी उपयुक्त समझा जाए और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श से और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार हो जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्णय ले और/या कि क्या प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं।”

“आगे यह संकल्प लिया गया कि आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VI के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

- क) इक्विटी शेयरों का आबंटन आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की इक्विटी शेयरों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और इन इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 12 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा या ऐसे किसी समय में जिसकी आईसीडीआर अधिनियमों में समय-समय पर अनुमति दी गई है।
- ख) सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार क्यूआईपी के माध्यम से इक्विटी शेयरों का कोई भी इश्यू उन मूल्यों पर होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों (क्यूआईपी फ्लोर प्राइज़) के अध्याय VI के अंतर्गत प्रावधानीकृत मूल्यनिर्धारण की विधि के अनुसार निर्धारित मूल्यों से कम न हो, यद्यपि बैंक इसमें छूट का ऑफर दे सकता है, जो लागू नियमों के अनुरूप, 5% (पाँच प्रतिशत) से अधिक या क्यूआईपी फ्लोर प्राइज़ संबंधी लागू नियमों के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिशत से अधिक न हो।
- ग) पात्र क्यूआईबी को इक्विटी शेयर सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार जारी किए जाएंगे, इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के लिए “उपयुक्त तारीख” बोर्ड की बैठक की तारीख होगी, जिसमें बोर्ड इक्विटी शेयरों के क्यूआईपी खोलने का निर्णय लेगा।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प पारित जाता है कि पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों का निर्गम एवं आबंटन, यदि कुछ हो तो, एनआरआई, एफआईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को किया जा सकता है, परन्तु यह यथा लागू विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा परन्तु अधिनियम के अंतर्गत तथा अन्य विनियमों द्वारा यथा स्थापित कुल सीमा के अंतर्गत होगा।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) अधिनियम, 2007 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी लीड प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदारों(अंडरराइटर्स), निक्षेपागारों, कानूनी सलाहकारों और ऐसे सभी एजेंसियों जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क द्वारा या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे।”

to **125,00,00,000 (125 Crore)** fresh equity shares of the face value of Rs.10 each for cash at such premium which together with the existing paid-up equity share capital shall be within the total authorized capital of Rs.6000 Crore of the Bank, or any increased amount thereof being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or any amount prescribed by the Government of India and / or the Reserve Bank of India, provided that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price; to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“**NRIs**”), companies, private or public, investment institutions, societies, Trusts, Research Organisation, Qualified Institutional Buyers (“**QIBs**”), like Foreign Portfolio Investors (“**FPIs**”) Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Board.

**“RESOLVED FURTHER THAT,** such issue, offer or allotment of equity shares may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Follow on Public Offer (FPO), rights issue, private placement, or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT,** the equity shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

**“RESOLVED FURTHER THAT,** in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) the allotment of equity shares shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such equity shares shall be fully paid-up and the allotment of such equity shares shall be completed within 365 days from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.”
- b) any issue of Equity Shares by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the ‘QIP Floor Price’), however the Bank may in accordance with applicable laws, also offer discount of not more than 5% (five percent) or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price
- c) the Equity Shares shall be issued to eligible QIBs by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the ‘relevant date’ for the purpose of pricing of the Equity Shares shall be the date of the meeting of the Board in which the Board decides to open the QIP of Equity Shares.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of aforesaid equity shares, if any, to NRIs, FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटरों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्-द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वह श्रेणी भी शामिल है जिनके लिए इक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के शोधन या जारी करना, कीमत, प्रतिभूतियों का निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रिक्त तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त इक्विटी शेयरों में से अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उनका इस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए, बोर्ड को एतद्-द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों, जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।”

“आगे यह भी संकल्प पारित जाता है कि पूर्वोक्त संकल्पों को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह अपनी सभी शक्तियां, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों को प्रत्यायोजित करें।”

**मद सं. 2 : टियर-1/टियर-2 बॉण्ड या अधिमानी शेयरों के रूप में नई पूंजी जारी करने के लिए अनुमोदन**

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो उसे पारित करना :-

“संकल्प पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 2007 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कुछ हो तो, के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्क्योरिटीज) विनियमन, 2008, सेबी (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन-कंवर्टिबल रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स) विनियमन, 2013, सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2018 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (जिसे इसके बाद अलग-अलग या संयुक्त रूप से “सेबी विनियम” कहा जायेगा), विदेशी विनियम प्रबंधन (नॉन-डेब्ट इंस्ट्रुमेंट्स) नियम, 2019 (इसके बाद इसे “फेमा डेब्ट रेग्युलेशन” कहा जायेगा) यथा संशोधित एवं लागू तथा आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित नियम, विनियम, दिशा-निर्देश, परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर/बॉण्ड सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा निम्नलिखित को सृजित, पेश, जारी और आबंटित (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की सहमति दी जाती है। यह आरबीआई द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट, नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर सहित परन्तु सब-ऑर्डिनेट डिबेन्चर तक सीमित नहीं, बॉण्ड, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव अधिमानी शेयर तथा/या अन्य डेब्ट प्रतिभूतियों/अधिमानी शेयर इत्यादि में अभिदान के लिए ऑफ़र(रों) या आमंत्रण(णों) के लिए है। इसे निजी स्थानन/पब्लिक इश्यू आधार पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में जारी किया जा सकता है जो आरबीआई या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा टियर 1 या टियर 2 पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। एक या अधिक श्रृंखलाओं में इसकी राशि रु.10,000/- करोड़ (केवल रुपया दस हजार करोड़) से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसायटी, ट्रस्ट, शोध संस्थाओं, क्वालिफाइड इस्ट्रुट्यूटनल बायर्स (क्यू.आई.बी) जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ.पी.आई.), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल फंडों, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य एन्टिटियों, प्राधिकरणों या किसी अन्य श्रेणी के निवेशकों जो वर्तमान विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों में निवेश के पात्र हैं, उन्हें, बैंक द्वारा यथा उचित समझा जाए, दिया जा सकता है।

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid equity shares are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, the price, premium or discount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** such of the aforesaid equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

## **Item No. 2: Approval to issue Fresh Capital as Tier-I / Tier-II Bonds or preference Shares**

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“**RBI**”), the Government of India (“**GOI**”), the Securities and Exchange Board of India (“**SEBI**”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, SEBI (Issue And Listing Of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter separately and collectively called as “**SEBI Regulations**”, the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 (the “**FEMA Non-Debt Rules**”), the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (hereinafter called as “**FEMA Debt Regulations Regulations**”) as amended and applicable and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications, if any, prescribed by the RBI, SEBI, Notifications / Circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/ bonds of the Bank are listed, consent **of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called “**the Board**” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad for making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, Bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares, etc. (hereinafter collectively called as Securities), on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding **Rs.10,000 Crore** (Rupees Ten Thousand Crore only), in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“**NRIs**”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“**QIBs**”) like Foreign Portfolio Investors (“**FPIs**”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in Securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank”.

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन, लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, सार्वजनिक निर्गम या निजी स्थानन या निर्गम के किसी अन्य तरीके द्वारा अति-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना, किया जाए। प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, लागू सेबी विनियम, फेमा नॉन-डेब्ट नियम, फेमा डेब्ट विनियम तथा आरबीआई, सेबी एवं लागू अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी अन्य लागू दिशा-निर्देश और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि यदि अपेक्षित हो तो जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां “स्टॉक एक्सचेंज” में सूचीबद्ध की जाएंगी।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में, बोर्ड को ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का पूर्ण प्राधिकार होगा जो सेबी विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम नहीं होंगी। ऐसा मूल्य निर्धारण, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों(अंडरराइटर्स) और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार किया जाएगा जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से सेबी विनियमों, आरबीआई परिपत्रों और अन्य विनियमों और किसी और अन्य सभी लागू नियमों, कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप निश्चित करें और/या कि क्या प्रस्तावित निवेशक बैंक के वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं या जहां जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम, आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प पारित जाता है कि पूर्वोक्त प्रतिभूतियों का इश्यू एवं आबंटन, यदि कुछ हो तो, एनआरआई, एफपीआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को किया जा सकता है, परन्तु यह यथा लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा परन्तु यह लागू अधिनियम के अंतर्गत तथा अन्य विनियमों द्वारा यथा स्थापित कुल सीमा के अंतर्गत होगा।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे एतद्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदारों(अंडरराइटर्स), निक्षेपागारों, कानूनी सलाहकारों और ऐसे सभी एजेंसियों जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसी सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क द्वारा या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञानों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो, के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्-द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों) के स्वरूप और नियमों, जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक शृंखला में आबंटित की जाने वाली उनकी संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गमों पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन, वारंट्स के उपयोग/प्रतिभूतियों का मोचन, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानि शेयरों की संख्या या प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन या शोधन या मोचन या करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ, कीमत, प्रतिभूतियों के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से जो प्रतिभूतियां अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उनका इस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्-द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।”

“आगे यह भी संकल्प पारित जाता है कि पूर्वोक्त संकल्पों को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह अपनी सभी अथवा शक्तियों में से कोई भी शक्ति प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों को प्रत्योयोजित करे।”

निदेशक मण्डल के आदेश से  
कृते बैंक ऑफ इंडिया

हस्त/-

(ए.के.दास)

कार्यपालक निदेशक

दिनांक: 06.12.2019

स्थान : मुंबई



**“RESOLVED FURTHER THAT**, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of public issue or private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, applicable SEBI Regulations, FEMA Non-Debt Rules, FEMA Debt Regulations, and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT**, the Securities to be issued, if required, shall be listed on the stock exchanges”.

**“RESOLVED FURTHER THAT**, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of applicable SEBI Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI Regulations, RBI Circulars and other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders / bondholders of the Bank.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FPIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies)), Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By Order of the Board  
For Bank of India

Sd/-

(A K Das)

Executive Director

Date : 06.12.2019

Place : Mumbai

**टिप्पणियाँ :**

1. प्रस्तावित संकल्प के लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों तथा कारणों को बताने वाला इसका व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
2. जिन शेयरधारकों का ई-मेल पता बैंक/डिपॉजिटरी में पंजीकृत है, उन्हें पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है जब तक कि किसी शेयरधारक ने उक्त की भौतिक प्रति के लिए पंजीकरण न किया हो। जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है उन्हें अनुमति प्राप्त माध्यम से भौतिक प्रतियाँ भेजी जा रही हैं। शेयरधारक नोट करें कि पोस्टल बैलट की सूचना बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) तथा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com) पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
3. वोट का अधिकार 29.11.2019 ("कट ऑफ तारीख") शुक्रवार को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत इक्विटी शेयर की पेड-अप वैल्यू के अनुसार होगा। जिन शेयरधारकों के नाम कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक रजिस्ट्रार या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्ट्रार में रिकॉर्ड हैं, केवल उन्हें ही पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। जो व्यक्ति कट ऑफ तारीख को शेयरधारक नहीं है वह इस पोस्टल बैलट के नोटिस को केवल सूचनार्थ ही मानें।
4. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 3 (2 ई) के अनुरूप केंद्र सरकार के अलावा कॉरपोरेटिंग न्यू बैंक के किसी भी शेयरधारक को उसके शेयर के संबंध में कॉरपोरेटिंग न्यू बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम/मों, विनियम/मों, योजना/ओं में किसी भी संशोधन के मामले में तथा ऐसे विनियम/मों जो सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया के किसी भी भाग में परिवर्तन लाते हैं उनके मामले में संशोधन मान्य होंगे।
5. शेयरधारक वोट डालने के लिए पोस्टल बैलट फॉर्म या ई-वोटिंग में से केवल एक ही विकल्प का चयन कर सकता है। किसी शेयरधारक के द्वारा अपना वोट दोनों माध्यम पोस्टल बैलट फॉर्म और ई-वोटिंग से डालने पर ई-वोटिंग के माध्यम से डाला गया वोट मान्य होगा तथा पोस्टल बैलट फॉर्म से डाला गया वोट अवैध माना जायेगा।
6. इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने ई-मेल के माध्यम से पोस्टल बैलट की सूचना प्राप्त की है तथा जो भौतिक पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से वोट डालना चाहते हैं वे बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) से पोस्टल बैलट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सचिव, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 को लिख कर तथा पोस्टल बैलट फॉर्म को यथावत भर कर तथा हस्ताक्षर करने के बाद स्क्रूटिनाइजर को इस प्रकार से भेजें कि वह 16.01.2020, गुरुवार को शाम 5.00 बजे तक (IST) से पहले अवश्य पहुँच जाए।
7. यदि संकल्पों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है तो उन्हें 16.01.2020, गुरुवार को पारित हुआ समझा जाएगा जो कि विधिवत भरे गए पोस्टल बैलट फॉर्म की प्राप्ति या ई-वोटिंग की बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख है।
8. शेयरधारक पोस्टल बैलट पर अपना वोट प्रोक्सी के माध्यम से नहीं डाल सकता है।
9. पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से वोट डालने के इच्छुक शेयर धारकों से अनुरोध है वे पोस्टल बैलट फार्म पर छपे हुए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उक्त फॉर्म को यथावत भरने तथा हस्ताक्षर करने के बाद जॉचकर्ता (स्क्रूटिनाइजर) को अपना पता लिखा प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे में डाक व्यय से लौटाए, ताकि वह जॉचकर्ता (स्क्रूटिनाइजर) के पास 16.01.2020, गुरुवार से पहले पहुँच सके। डाक व्यय बैंक के द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि पोस्टल बैलट फार्म वाला लिफाफा यदि कुरियर से या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से दिए गए पते पर स्वयं का पता लिखा प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे में शेयरधारक/कों के स्वयं के खर्च पर भेजा है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई पोस्टल बैलट फॉर्म 16.01.2020, गुरुवार को शाम 5.00 बजे के बाद में प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि शेयरधारक/कों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट फॉर्म को अवैध माना जाएगा यदि :-
  - (i) शेयरधारक/कों की सहमति या असहमति को बिना किसी संशय के तय करना संभव न हो; और/या
  - (ii) किसी सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक/कों के वोट के अधिकार को रोकने के लिए बैंक को लिखित रूप में अनुदेश दिए हों; और/या
  - (iii) यह इस तरह से विकृत या कटा-फटा हो कि इसे वास्तविक रूप में नहीं पहचाना जा सकता; और/या
  - (iv) शेयरधारक/कों ने इसके व्यवस्थित संकल्प में कोई संशोधन किया हो या अपना वोट डालते समय कोई शर्त रख दी हो; और/या
  - (v) फॉर्म में प्रस्तुत किया गया विवरण अधूरा या गलत हो; और/या
  - (vi) पोस्टल बैलट फॉर्म पर हस्ताक्षर न किए गए हो या हस्ताक्षर मेल न खाते हों; और/या
  - (vii) यदि पोस्टल बैलट फॉर्म बैंक के द्वारा जारी किए गए फॉर्म से अलग हो।

**Notes:**

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed resolution is annexed hereto.
2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in), the website of Bigshare Service Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank, [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com) and website of the e-voting agency CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on Friday, 29.11.2019 ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or E-Voting. A person who is not a shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.
4. Pursuant to Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 (ten) per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act/s, Regulation/s, Scheme/s and Regulation/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.
5. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail and the vote cast through Postal Ballot Form shall be considered invalid.
6. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by Email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) or by writing to the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 16.01.2020.
7. The resolutions, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on Thursday, 16.01.2020 i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or E-Voting.
8. A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.
9. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 16.01.2020. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 16.01.2020, it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:
  - i) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/or
  - ii) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or
  - iii) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or
  - iv) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or
  - v) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or
  - vi) Postal Ballot Form is not signed, or signature does not tally; and/or
  - vii) if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.

10. यदि कोई शेयरधारक डुप्लीकेट पोस्टल बैलट फॉर्म प्राप्त करने का इच्छुक है तो, सदस्य बैंक के प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 या इसके रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट, बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लि., इकाई : बैंक ऑफ़ इंडिया, पहला तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत एसोसिएशन के सामने, मकवाना रोड, मरोल, अंधेरी (पूर्व) मुंबई- 400 059 महाराष्ट्र, इंडिया को लिखित सूचना दें। तथापि यथावत भरा गया और हस्ताक्षर किया गया डुप्लीकेट पोस्टल बैलट फॉर्म स्कुटीनाइजर के पास 16.01.2020, गुरुवार शाम 5.00 (IST) बजे तक या पहले पहुँच जाना चाहिए।
11. ई-वोटिंग की प्रक्रिया व तरीका निम्नलिखित होगा :

### ई-वोटिंग अनुदेश

- शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 29.11.2019 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।
- वोटिंग अवधि 18.12.2019 को सुबह 10.00 बजे से आरंभ होगी और 16.01.2020 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीएसडीएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
- शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-ऑन करना होगा।
- shareholders** पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें।
  - सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की लाभार्थी आईडी
  - एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का ग्राहक आईडी
  - जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।
- दिखाई गई सत्यापन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

	डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 संख्या के अल्फा न्यूमेरिक पैन (PAN) की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जिन सदस्यों ने बैंकडिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पैन (PAN) अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पैन (PAN) के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें।</li> <li>यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों (बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में '0' जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पैन (PAN) फील्ड में RA0000001 लिखें।</li> </ul>
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (DOB)	<p>आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में कथित डीमैट खाते या फोलियो हेतु रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy) की प्रारूप में प्रविष्टि करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यदि विवरण डिपॉजिटरी या बैंक में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेश (V) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक विवरण के फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।</li> </ul>

- इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें।
- जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे 'Bank selection' स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'password creation' मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

10. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a Duplicate Postal Ballot Form, the Member may write to the Bank at its Head Office at Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 or its Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited, Unit: Bank of India, 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400059 Maharashtra, India. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 16.01.2020.
11. The process and manner of E-Voting shall be as follows:

**E-Voting Instructions:**

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shareholding of the paid up Equity Share Capital of the Bank as on Friday, 29.11.2019 (Cut-off Date) fixed for the purpose.
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on 18.12.2019 and will end at 5.00 p.m. on 16.01.2020. The E-Voting module shall be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) The shareholders should log on to the e-Voting Website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- (iv) Click on shareholders / Members
- (v) Now enter your User ID
  - (a) For CDSL: 16 Digit Beneficiary ID
  - (b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID
  - (c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to us the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN Held.</li> <li>● In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. E.g., if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.</li> </ul>
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> <li>● If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).</li> </ul>

- (ix) After entering these details appropriately, click on `SUBMIT' tab.
- (x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach `password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- xii. वोट करने के लिए **EVSN (191207001) of BANK OF INDIA** पर क्लिक करें।
- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'Resolution Description' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु 'Yes/No' दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या 'No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और 'No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- xiv. यदि आप संकल्प का पूर्ण विवरण देखना चाहें तो 'RESOLUTION FILE LINK' पर क्लिक करें।
- xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' दिखया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहें तो 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में परिवर्तन करें।
- xvi. संकल्प पर अपने वोट को CONFIRM करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvii. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट लेने के लिए आप वोटिंग पेज पर 'click here to print' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- xviii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और 'Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा मांगे जाने वाले ब्यौरे की प्रविष्टि करें।
- xix. शेयरधारक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल से सीडीएसएल के एम-वोटिंग ऐप का प्रयोग करके भी अपना वोट दे सकते हैं। उक्त एम-वोटिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल और विंडो फोन प्रयोक्ता क्रमशः ऐप स्टोर और विंडो फोन स्टोर से उक्त ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया मोबाइल के माध्यम से वोट करते समय मोबाइल ऐप के अनुदेशों का पालन करें।
- xx. गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट
- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग ऑन करना होगा और कौंसेलर के रूप में पंजीकृत करना होगा।
  - संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति [helpdesk.evoting@cdslindia-com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia-com) को ई मेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि [evoting@ezylaws.com](mailto:evoting@ezylaws.com) को भेजी जाए।
  - लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर बनाना होगा। अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
  - खाते की सूची [helpdesk.evoting@cdslindia-com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia-com) को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
  - उनको अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगी ताकि स्कूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
  - ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) में उपलब्ध सहायता के अंतर्गत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा [helpdesk@cdslindia.com](mailto:helpdesk@cdslindia.com) को ई मेल लिख सकते हैं।
- xxi. बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- xxii. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।
- xxiii. कृपया नोट करें कि एक बार ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के बाद आप वोट में परिवर्तन या पोस्टल बैलट से वोट नहीं कर सकते।

- (xi) For Shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.
- (xii) Click on the **EVSN (191207001)** of **BANK OF INDIA** on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see 'Resolution Description' and against the same the option 'Yes/No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on 'CANCEL' and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take printout of the voting done by you by clicking on the 'Click here to print' option on the Voting page.
- (xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xx) Note for Non-Individual Shareholders and Custodians
- Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and CC to [evoting@ezylaws.com](mailto:evoting@ezylaws.com)
  - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts should be mailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
  - In case you have any queries or issues regarding E-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-Voting Manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
- (xxi) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- (xxii) The results of remote E-Voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- (xxiii) Kindly note that once you have cast your vote through E-Voting, you cannot modify or vote on voting at the Postal Ballot.

## व्याख्यात्मक विवरण

## EXPLANATORY STATEMENT

### मद संख्या 1 और 2:

1. भारत में बासेल III पूंजी आवश्यकताओं के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए गए थे। ये दिशा-निर्देश 31 मार्च, 2020 को पूरी तरह लागू हो जायेंगे। 30 सितम्बर, 2019 को बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 14.09% व सीईटी-1 पूंजी अनुपात 11% है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बैंक को आरबीआई के बासेल III की परिवर्ती व्यवस्थाओं के अनुरूप न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना चाहिए। यद्यपि, जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के आकलन एवं लाभ के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद बैंक को अतिरिक्त पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।
2. बैंक को आस्तियों में प्रत्याशित वृद्धि प्राप्त करने तथा पूंजी पर्याप्तता के निर्धारित स्तर के अनुपालन के लिए विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2020 तक कैपिटल कंजर्वेशन बफर (सीसीबी) अर्थात् 0.625% प्रति वर्ष के कारण पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है।
3. बैंक पिछले कई सालों से बहुत कर्मठतापूर्वक और सावधानी से आगे बढ़ रहा है और तदनुसार इसके लिए बैंक को अतिरिक्त दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता है। बैंक, अद्यतन तारीख तक यथासंशोधित सेबी (पूंजी इश्यू एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 एवं इस संबंध में सेबी/आरबीआई के अन्य लागू विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/इक्विटी शेयरों, टियर -1 बॉन्ड्स, टियर -2 बॉन्ड्स, अधिमानी शेयरों या ऐसे किसी अन्य इश्यू के माध्यम से निजी स्थानन द्वारा पूंजी जुटाना प्रस्तावित करता है।
4. वर्तमान संकल्प भी प्रस्तावित है ताकि बैंक के निदेशक मंडल, इक्विटी शेयर, टियर-1/टियर-2 पूंजी को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य नियमों पर जारी कर सकें।
5. विशेष संकल्प के अनुरूप इक्विटी शेयर/टियर-I, टियर-II पूंजी बॉन्डों का प्रस्तावित इश्यू सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

बैंक के निदेशक, बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधियों के संबंध में यह माना जा सकता है कि वे बैंक के कार्यक्रम जिसमें उन्हें बैंक की इक्विटी शेयर /प्रतिभूतियां आवंटित की गयी थी, उनकी शेयर धारिता की सीमा तक दिलचस्पी या रुचि रखते हैं।

आपके निदेशक इस सूचना की मद सं. 1 एवं 2 में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी पूर्वोक्त संकल्प के संबंध में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कुछ हो तो, उसे छोड़कर और कुछ रुचि या हित नहीं रखते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से  
कृते बैंक ऑफ इंडिया

हस्त/-

(ए.के.दास)

कार्यपालक निदेशक

दिनांक: 06.12.2019

स्थान : मुंबई

### Item No. 1 and 2

1. The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April 2013 in a phased manner. The guidelines will be fully phased on 31st March 2020. The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CRAR), as on 30th September 2019 stand at 14.09% with CET-1 Capital Ratio at 11.00%. The Board of Directors of Bank has decided that the Bank should maintain minimum Capital Adequacy Ratio in line with the RBI Basel III transitional arrangements. However, Based on the assumption of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank may require to raise additional Capital during FY 2019-20 or afterwards.
2. The Bank required adequate Capital to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e. 0.625% every year till FY 2020
3. The Bank has been growing very diligently and cautiously for the last many years and accordingly there is constant requirement of additional capital. In order to meet this growing requirement, Bank needs long term capital. The Bank proposes to raise capital by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /public issue, rights issue, Follow on public offer (FPO)/ private placement of equity shares, Share Based Employee Benefits, Tier-I Bonds, Tier-II Bonds, preference shares or such other modes of issue, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.
4. The proposed resolution is also proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares, Tier-I/ Tier-II capital at an appropriate time, mode, premium and other terms.
5. The proposed issuance of Equity Shares / Tier-I, Tier-II capital bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Directors of the Bank, the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives may be deemed to be concerned or interested to the extent of their shareholding in the Bank in the event they are allotted equity shares/ securities of the Bank  
Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in Items 1 and 2 of the Notice.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board  
For Bank of India

Sd/-

(A K Das)

Executive Director

Date : 06.12.2019

Place : Mumbai



**पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM**

(इस फॉर्म को पूरा करने से पहले कृपया पृष्ठ के पीछे छपे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

संदर्भ संख्या/ Ref. No.:

- एकल/प्रथम शेयरधारक का नाम  
Name of the Sole/First Shareholder:
- एकल/प्रथम शेयरधारक का पंजीकृत पता  
Registered address of the Sole/First Shareholder
- पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी-क्लाइंट आईडी  
Registered Folio Number/DP-Client ID:
- धारित शेयरों की संख्या  
Number of Shares held:
- मैं/हम बैंक के पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 06.12.2019 में वर्णित कारोबार हेतु पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित किये जाने वाले विशेष संकल्पों के संबंध में मेरा/हमारा वोट का प्रयोग करता हूँ, निम्नलिखित उपयोग कॉलम में (✓) टिक मार्क लगाते हुए मेरी/हमारी सहमति/असहमति दर्शाता हूँ।  
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolutions to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Notice of Postal Ballot dated 06.12.2019 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate column below:

मद संख्या Item No.	विवरण Description	शेयरों की संख्या जिनके लिए वोट डाले गए हैं। No. of Shares for which votes cast	मैं/हम संकल्पों से सहमत हूँ। (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (FOR)	मैं/हम संकल्पों को अस्वीकार करते हैं। (विरुद्ध) I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	रु.10 के नए 125 करोड़ तक इक्विटी शेयर सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 के अनुसार निर्धारित इश्यू मूल्य पर जारी कर पूंजी जुटाना। To raise capital by issue of upto 125 crore fresh equity shares of Rs.10/- each at such issue price as may be determined in accordance with SEBI (ICDR) Regulations 2018.			
2	रु.10,000 करोड़ तक की राशि के लिए ऋण लिखत तथा प्रतिभूतियां जारी करना जो टीयर-I एवं टीयर-II पूंजी या अन्यथा हेतु वर्गीकृत हो। To issue Debt Instruments and securities which classify for Tier I and Tier II capital or otherwise, upto an amount upto Rs. 10,000 crore			

स्थान /Place:

दिनांक Date:

शेयरधारक के हस्ताक्षर/ Signature of Shareholder

ई-वोटिंग हेतु, कृपया इसके साथ संलग्न नोटिस में दिए गए अनुदेशों का संदर्भ लें।

For E-Voting, please refer the instructions in the Notice attached herewith.

जांचकर्ता द्वारा पोस्टल बैलट फॉर्म की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि : 16.01.2020, गुरुवार, शाम 5.00 बजे।

Last date for Receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer: Thursday, 16.01.2020, 5.00 p.m.

**ई-वोटिंग विवरण / E-VOTING PARTICULARS**

ईवीएसएन (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्रम संख्या) EVSN (Electronic Voting Sequence Number)	यूजर आईडी USER ID	पासवर्ड/पिन PASSWORD / PIN
191207001	आपका डीमेट खाता संख्या Your Demat Account Number	आपके पास पहले से उपलब्ध हो या आप जनरेट कर सकते हैं। Already with you or you can generate

## अनुदेश

1. यदि कोई शेयरधारक पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से वोट डालने का इच्छुक है तो इस पोस्टल बैलट फॉर्म को पूर्ण करें तथा प्री-पेड डाक द्वारा लिफाफे में जांचकर्ता को भेज दें। यदि पोस्टल बैलट वाला लिफाफा कुरियर के माध्यम से सदस्य के खर्चे पर भेजा गया है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा।
2. यह प्रारूप शेयरधारक के द्वारा पूर्ण तथा हस्ताक्षरित (बैंक/डिपॉजिटरी सहभागी में पंजीकृत हस्ताक्षर के नमूने के अनुसार) होना चाहिए। संयुक्त धारक के मामले में, यह प्रारूप प्रथम नाम वाले सदस्य द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में अगले नाम वाले शेयरधारक द्वारा भरा व हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
3. कम्पनियों, ट्रस्ट, सोसायटी आदि के द्वारा शेयर धारण करने के मामले में, यथावत भरा गया पोस्टल बैलट प्रारूप बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि के साथ होना चाहिए। जहाँ इस फॉर्म को राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है वहाँ पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ नामांकन की प्रमाणित प्रति को भी संलग्न किया जाना चाहिए।
4. सहमति को 'के पक्ष में' वाले कॉलम में सहमति दर्ज करते हुए और 'विरोध में' वाले कॉलम में असहमति को उपयुक्त कॉलम में टिक मार्क (✓) के द्वारा दर्ज किया जा सकता है।
5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म को निरस्त किए जाने योग्य है।
6. एक शेयर धारक द्वारा सभी वोटों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है और न ही एक तरीके से सभी वोटों को डालना आवश्यक है।
7. विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म जांचकर्ता को कार्य दिवस खत्म होने से पहले अर्थात् 16.01.2020, गुरुवार को शाम 5.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त सभी पोस्टल बैलट फॉर्म के संबंध में यह माना जाएगा कि ऐसे शेयरधारकों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
8. एक शेयरधारक एक दूसरी प्रति (डुप्लिकेट) पोस्टल बैलट फॉर्म हेतु अनुरोध कर सकता है यदि ऐसा आवश्यक हो। तथापि, विधिवत भरे हुए प्रतिरूप पोस्टल बैलट फॉर्म उपर्युक्त मद संख्या 7 में निर्दिष्ट तिथि से पहले संवीक्षक को पहुंच जाना चाहिए।
9. शेयरधारकों से संलग्न पोस्टल प्री-पेड स्वयं का पता लिखे लिफाफे में पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ किसी अन्य पेपर को नहीं भेजने का अनुरोध किया जाता है।
10. मताधिकार को निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 29.11.2019 शुक्रवार को शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत शेयरों की प्रदत्त कीमत पर सम्मिलित किया जाएगा।
11. पोस्टल बैलट फॉर्म की वैधता पर जांच कर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
12. पोस्टल बैलट द्वारा मतदान का परिणाम सोमवार, 20.01.2020 को या पहले जारी किया जाएगा और बैंक के अपने प्रधान कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसे शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) को सूचित किया जाएगा, बैंक और मैसर्स बिगशेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
13. ई-वोटिंग : कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 108 के प्रावधानों और सेबी विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में नियमों और तदविषयक बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाए, बैंक को विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा (सीडीएसएल ई वोटिंग प्लेट फॉर्म द्वारा) उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता है जिससे शेयरधारक भौतिक बैलट फॉर्म को भेजने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोट दे सकेंगे। कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग वैकल्पिक है। किसी मामले में शेयरधारक ने ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट किया है, तो उसे भौतिक बैलट फॉर्म को भेजने की आवश्यकता नहीं है, यदि दोनों माध्यमों से अर्थात् भौतिक बैलट के साथ-साथ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देते हैं तो तब ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान प्रभावी होगा और शेयरधारक किया गया भौतिक मतदान अमान्य माना जाएगा। ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत अनुदेशों हेतु इसके अतिरिक्त नोटिस और नोट्स का संदर्भ लेने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है।

## INSTRUCTIONS

1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/ Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named shareholder.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorization. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. 5.00 p.m., on Thursday, 16.01.2020. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Shareholder has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self-addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the Cut-Off date i.e. Friday, 29.11.2019
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Monday, 20.01.2020 and displayed on the Notice Board of the Bank at its Head Office, intimated to the stock exchanges, hosted on the website of the Bank and M/s. Bigshare Services Private Limited (RTA).
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of CDSL) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e., Physical Ballot as well as E-Voting, then voting done through E-Voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes thereto, for detailed instructions with respect to E-Voting.